न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,झुझुनू

पीठासीन अधिकारी– एम0 आर0 बागड़िया
आर0ए0एस0

अपील संख्या–37/2017

मनोज कुमार पुत्र रामावतार, जाति स्वामी निवासी हरड़िया, पुलिस थाना खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं राजस्थान।

–अपीलान्ट

–बनाम–

1. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी लैण्ड होल्डर तहसीलदार खेतड़ी, तहसील जिला झुन्झुनू।

–रेस्पोडेन्ट

अपील अ.धा. 75 राज. भू–राजस्व अधिनियम 1956
अपील खिलाफ निर्णय दि. 12.7.2017 बअदालत तहसीलदार खेतड़ी
मुकदमा उनवानी सरकार बनाम मनोज वगैरह मु.न. 17/2017
अ.धा. 91 राज. भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित:–

1. श्री संदीप सैनी, एडवोकेट———————— अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी ,एडवोकेट——————— रेस्पोडेन्ट की ओर से।

– निणर्य– दिनांक–09.5.2018

उक्त उनवानी अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 12.7.2018 मुकदमा नंबर 17/20117 बमुकदमा उनवानी सरकार, मनोज वगैरह अ. धारा 91 , तहसीलदार खेतड़ी के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है अंकित किये गये हैं कि –अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट्स के साथ प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत की पालना नहीं की। बिना किसी सबूत व साक्ष्य के एकतरफा कार्यवाही कर गलत रूप से मनमाना आदेश पारित किया है। अपीलांट मंदिर बिहारीजी महाराज का पुजारी है जो रास्ते की भूमि से सटकर बिना किसी नपती की कार्यवाही के, मात्र पटवारी रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट के विरूद्ध उक्त आदेश पारित किया है जो धारा 91 राज0 भू अधिनियम 1956 के प्रावधानों को नजर अन्दाज कर निर्णय पारित कर विधिक भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने अतिक्रमी को पुनरावृति अतिक्रमण

अति. जिला कलेक्टर
झुन्झुनू

के आधार पर दोषी मानकर सिविल कारावास की सजा की है, जबकि पूर्व में अतिक्रमी की प्रमाणित प्रति रिकार्डपर ली जाकर बतौर साक्ष्य सबूत पत्रावली पर लिये जाकर ही सिविल कारावास का आदेश पारित कर सकते थे। इस प्रकार तहसीलदार खेतड़ी ने कानूनी प्रावधानों को नजर अंदाज करते हुये उक्त आदेश पारित किया है। तहसीलदार खेतड़ी ने मौके पर कोई जांच नहीं की है, बिना जांच किये ही आरबिटेरी आदेश पारित किया है, जो निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मौखिक साक्ष्य भी नहीं हुई जिससे अपीलांट द्वारा अतिक्रमण साबित होता हो। अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर ही उक्त आदेश पारित किया है जो विधिक प्रक्रिया के अन्तर्गत जारी नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश 12.7.2017 निरस्त किया जावे।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया कि – अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी सबूत व साक्ष्य के एकतरफा कार्यवाही कर गलत रूप से मनमाना आदेश पारित किया है। अपीलांट मंदिर बिहारीजी महाराज का पुजारी है जो रास्ते की भूमि से सटकर बिना किसी नपती की कार्यवाही के, मात्र पटवारी रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट के विरूद्ध उक्त आदेश पारित किया है जो धारा 91 राज0 भू अधिनियम 1956 के प्रावधानों को नजर अन्दाज कर निर्णय पारित कर विधिक भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने अतिक्रमी को पुनरावृति अतिक्रमण के आधार पर दोषी मानकर सिविल कारावास की सजा की है, जबकि पूर्व में अतिक्रमी की प्रमाणित प्रति रिकार्ड पर ली जाकर बतौर साक्ष्य सबूत पत्रावली पर लिये जाकर ही सिविल कारावास का आदेश पारित कर सकते थे। इस प्रकार तहसीलदार खेतड़ी ने कानूनी प्रावधानों को नजर अंदाज करते हुये उक्त आदेश पारित किया है। तहसीलदार खेतड़ी ने मौके पर कोई जांच नहीं की है, बिना जांच किये ही आरबिटेरी आदेश पारित किया है, जो निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मौखिक साक्ष्य भी नहीं

हुई जिससे अपीलांट द्वारा अतिक्रमण साबित होता हो। अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर ही उक्त आदेश पारित किया है जो विधिक प्रकिया के अन्तर्गत जारी नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश 12.7.2017 निरस्त किया जावे।

दौराने बहस पैरोकार सरकार ने बताया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी ने अपीलांट द्वारा ग्राम हरडिया में राजकीय भूमि खसरा नंबर 511 रकबा 0.30 है0 किस्म गै.मु. रास्ता के रकबा 0.01 है0 भूमि खुर्द-बुर्द कर खेत में शामिल कर पुनः अतिक्रमण किये जाने पर विधिक प्रकिया के अन्तर्गत अपीलांट को सुना जाकर विधिसम्मत कार्यवाही की गई है । अतः अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया। मिसल मातहत को देखा गया। बहस उभय पक्ष पर मनन किया गया। अपीलांट का कथन कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उसे सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से साबित है कि अपीलांट की विधियत तामील के बाद अपीलांट की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने बतौर साक्ष्य हल्का पटवारी के बयान लेखबद्ध किये गये है। हल्का पटवारी के बयानों के अनुसार अपीलांट को पूर्व में मौतिक मौका बेदखली के उपरान्त पुनः अतिक्रमण करने पर उसके विरूद्ध पश्चातवृति अतिक्रमण की कार्यवाही विधिक प्रकिया के अन्तर्गत की गई है। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ऐसी कोई साक्ष्य या सबूत पेश नहीं किये जिससे वादग्रस्त भूमि पर उसके द्वारा किये गये अतिक्रमण को वैध माना जा सके। अपीलांट ने न्यायालय के समक्ष एक शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उसने रास्ते की भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं कर रखा है, ना ही भविष्य में भी किस प्रकार को कोई अतिक्रमण करेगा। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी द्वारा पारित आदेश –गैर सायल **को तीन माह के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया जाता है, सजा** के बिन्दू तक अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी द्वारा पारित आदेश 12.7.2017 में गैर सायल को तीन माह के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया जाता है, सजा के बिन्दू तक उक्त

अति. जिला कलेक्टर
झुन्झुनू

आदेश निरस्त किया जाता है, शेष आदेश यथावत रहेगा। मिसल मातहत अदालत आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाफ्ता दाखिल दफ्तर हो।

(एम0आर0 बागड़िया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 09.05.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम0आर0 बागड़िया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू